न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31/2020 राजस्व अपील

1. रामेश्वर } पुत्रान
2. राधामोहन } हरगोविन्द

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 22.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामेश्वर वगै. प्र. सं. 38/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज. भू राज. अधिनियम

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक: 07.09.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम गांवडी में स्थित भूमि खसरा नं. 88 रकबा 0.50 है. पर सम्वत 2076 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त निर्णय दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानूनी नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने किसी भी सरकार भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और न ही काश्त की है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई सबूत

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व जवाब प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में पीडित पक्ष को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का मौका मिलना न्यायार्थ आवश्यक था। पत्रावली पर अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती होने के कोई सबूत न होते हुए भी अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा कर दी गई है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय दिनांक 22.01.2020 निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 है. पर चने की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 22.01.2020 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स ने सम्वत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 है. पर चने की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.01.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 मुकदमा नम्बर 38/2020 सरकार बनाम रामेश्वर वगै. यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

अति० जिला कलक्टर
दौसा